संख्या:722/2023/1954/35-4-2023/001-35-4099/327/2021

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 17 जुलाई,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद अलीगढ़ की विधान सभा क्षेत्र-खैर में शासनादेश संख्या-413/2021/2288/35-4-2021, दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बंधित 23 कार्यों में से 05 कार्यों की रू. 92.37 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु. 75.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी अलीगढ़ द्वारा पत्र सं0-1986/त्व0आ0वि0/2022-23, दिनांक 15.03.2023 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 23 कार्यों में से 05 कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण व्यय होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष रु. 17.37 लाख (रूपये सत्रह लाख सैतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व मे अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	ग्राम बलरामपुर में कुंवरपाल सिंह के घर से दीनू प्रधान जी क घर तक एवं ओमपाल जाटव के घर से प्राइमरी स्कूल तक सड़क निर्माण	24.28	15.00	09.28
2	ग्राम रकराना में जगवीर फौजदार के घर से जवाहरलाल शर्मा जी के घर की तरफ एवं करूआ बाबा की चौपाल से राजपाल के घर की तरफ सड़क निर्माण	16.76	15.00	01.76
3	ग्राम डेटा खुर्द में पिसावा डेटा सैदपुर मार्ग से प्राइमरी विद्यालय की तरफ सड़क निर्माण	15.42	15.00	00.42
4	ग्राम शाहपुर में रमन चौधरी के घर से हरि डाक्टर की तरफ एवं राजेन्द्र चौधरी के घर से रावेन्द्र के घर तक सड़क निर्माण	17.75	15.00	02.75
5	ग्राम अंदोस में बने सिंह सुबेदार के घर से इन्द्रजीत दूधिया के मकान की तरफ सड़क निर्माण एवं रिटेनिंग वाल का निर्माण	18.16	15.00	03.16
	योग	**92.37**	**75.00**	**17.37**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 17,37,000 (रूपये सत्रह लाख सैतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

संख्या:722/2023/1954/35-4-2023/001-35-4099/327/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अलीगढ़।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अलीगढ़।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in